B.A. I Paper I — हर्षवर्धन के केन्द्रीय शासन व्यवस्था — Group-B Paper - Hind — M.A. ①

Q. Describe the Administrative System of Harsha.

"Or"

Q. Review the nature of Central Government of Harsha?

Ans. प्राचीन भारतीय इतिहास में हर्षवर्द्धन का शासन व्यवस्था के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। हर्ष केवल एक विजेता ही नहीं वरन् एक कुशल शासक भी था। हर्ष ने गुप्त सम्राटों की शासन प्रणाली को ही अपनाया था। उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन अवश्य किये थे। कर्मचारियों के प्रायः वही नाम इस समय भी प्रचलित थे जो कि गुप्तकाल में थे। हर्षकालीन शासन व्यवस्था को तीनों भागों में बाँटा जा सकता है – ① केन्द्रीय शासन (2) प्रान्तीय शासन ③ विषय शासन

(1) Central Administration (केन्द्रीय शासन व्यवस्था) :– गुप्तकाल की तरह शासन का सर्वोच्च राजा होता था। शासन संचालन की वह स्वयं देखभाल करता था। राजा के दैवीय सिद्धान्त को इस काल में भी मान्यता प्राप्त थी। उसे इन्द्र, यम, धनद, वरुण आदि देवताओं का अंश माना जाता था हर्ष में ने बाण ने शिव, इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर तथा जिन (बुद्ध) से भी अधिक माना जाता है। बाणों ने हर्ष को सब देवताओं का सम्मिलित अवतार माना है। राजा बड़ी-बड़ी उपाधियाँ धारण करते थे। हर्ष के समय राजा निम्नलिखित उपाधियाँ धारण करते थे – परम दैवत, परमेश्वर, परमभट्टारक, महाराजाधिराज। इन उपाधियों की तुलना यदि गुप्त सम्राटों की उपाधियों से की जाये तो हमें दोनों में बिल्कुल समानता प्राप्त होगी। जनपद प्रायः आनुवंशिक होता था। सिंहासन के अधिकारी सम्राटों के भाई होते थे। सम्राट के कार्य अत्यंत विस्तृत थे। सम्पूर्ण शासन प्रबंध में सक्रिय भाग लेता था। अतः सारे साम्राज्य के प्रशासन का अंतिम उत्तरदायित्व राजा पर ही था।

यद्यपि रानियाँ प्रशासन में भाग नहीं लेती थी फिर भी हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया था। राज्यश्री देवगुप्त के बन्दीगृह से मुक्त होकर विंध्याचल पर्वत में चली गयी थी जहाँ से हर्ष ने अपनी विधवा बहन को निकाला था।

राज्यभ्रमण :– साम्राज्य की क्या दशा है प्रजा सुखी है अथवा नहीं, देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है आदि विषयों का पता लगाने के लिए प्राचीन युग में सम्राट लोग अपने साम्राज्य का भ्रमण करते थे। जिससे वे प्रजा के कष्टों को सुनते थे तथा उनके निवारण का प्रयास करते थे। अशोक इसी प्रकार की यात्रा करता था। इस प्रकार का भ्रमण ऋतु वर्षा ऋतु के चार मास को छोड़कर पूरे वर्ष करता था। राजा के ठहरने के लिए स्थान-स्थान पर मकान बनाये जाते थे। जो कि सम्राट के जाने के बाद जला दिये जाते थे। सम्राट का भ्रमण में बड़े शान शौकत से निकलता था।

दिन का विभाजन :- मौर्य सम्राटों की भाँति हर्ष भी अपना सारा दिन शासन-संचालन के कार्यों तथा धार्मिक कार्यों में व्यतीत करता था। ह्वेनसांग लिखता है कि- "सम्राट का दिन तीन भागों में बंटा था- दिन का भाग शासन के विषयों में व्यतीत होता था तथा शेष दो भाग धार्मिक कृत्यों में व्यतीत होते थे। वे काम से कभी थकनेवाले नहीं थे। उनके हेतु दिन का समय ही अत्यन्त अल्पकालिक था। कार्यों में वे संलग्न रहते थे कि उन्हें निन्द्रा तथा भोजन तक भूल जाता था"। इस प्रकार सम्राट दिन का $\frac{1}{3}$ समय शासन संचालन में तथा $2/3$ समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत करता था।

सारांश में हम कह सकते हैं कि इस काल में राजा के अधिकार अत्यन्त विस्तृत थे जिनके परिणाम स्वरूप उसके स्वेच्छाचारी हो जाने की पूर्ण संभावना थी लेकिन हर्ष प्रजाहित में अधिक समय देता था तथा प्रजा के कष्टों को जानने के लिए वह समय-समय पर राज्य का भ्रमण भी किया करते थे।

मंत्रिपरिषद :- राजकीय कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी जिन्हें अमात्य या सचिव कहा जाता था। मंत्रिपरिषद का भी उल्लेख आया है उससे यह प्रकट होता है कि थानेश्वर में भी एक मंत्रीपरिषद रही होगी। मौखरियों की मंत्रिपरिषद का उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। मंत्रीपरिषद में संभवतः निम्नलिखित अधिकारी हुआ करते थे। संधिविग्राहक, अक्ष पटलाधिकृत तथा सेनापति। इन मंत्रियों का पद बड़ा महत्वपूर्ण था।

संधि विग्राहक सम्राट को परामर्श देकर देश की नीति का निर्धारण करता था। हर्षवर्धन ने अपनी घोषणा कि समस्त राजा या तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लें या युद्ध हेतु तत्पर हो जाएं अपने संधिविग्राहक के द्वारा प्रकाशित करवाई थी। उसके संधिविग्राहक का नाम अवन्ती था। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी महासेनापति होता था जिसके अधीन अनेक सेनापति हुआ करते थे और जिसके ऊपर सेना के विभिन्न अंगों का भार रहता था। हर्षवर्धन का सेनापति सिंहनाद था। गज सेना के सेनापति का नाम स्कन्द गुप्त था।

प्रशासन के उच्च पदाधिकारी :- महासंधिविग्राहिक, महाअक्षपटलिक तथा सेनापति के अतिरिक्त अनेक उच्च पदाधिकारियों का भी उल्लेख आया है। उनके नाम निम्नलिखित है - दीर्घाध्व सान्धिक, प्रमातार, राजस्थानीय, कुमारामात्य, उपरिक, विषयपति, प्रतक, शिविरपति, राजकुटुम्बक, महाप्रतिहार, सर्वगत आदि ये अधिकारी प्रशासन में महत्वपूर्ण भाग लेते थे। इनके अतिरिक्त पुरोहित का भी स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता था।

Scanned with CamScanner

राजा पुरोहित से अनेक महत्वपूर्ण विषयों में मंत्रणा करता था।
मंत्रियों के दुर्ग में से नीचे के कार्यरत राजकर्मचारियों का भी उल्लेख आया है क्योंकि संभवतः विषयपति के पद पर कार्य करता था। बाण द्वारा उल्लिखित इसरा कर्मचारी भोगपति था जो कि करों का संग्रह करता था। ह्वेनसांग लिखता है कि उच्च पदाधिकारियों को वेतन के रूप में गाँव दिये जाते थे। उन्हें नकद वेतन नहीं दिया जाता था। निम्न श्रेणी के अधिकारी नकद तथा भूमि दोनों ही रूपों में वेतन पाते थे। केन्द्रीय शासन का एक सैन्य विभाग भी था।

सेना का प्रशासन :- हर्ष के पास एक विशाल सेना थी जिसके बल पर उसने दिग्विजय की कर काश्मीर, पंजाब एवं कामरूप को छोड़कर उसकी सेना सम्पूर्ण उत्तरी भारत में पहुँची थी। उसका सबसे बड़ा शत्रु शशांक था किन्तु इस पर हर्ष ने विजय की थी या नहीं समुचित रूप से कहना कठिन है। वह अपनी विशाल सेना को लेकर साढ़े पाँच वर्ष दिग्विजय में संलग्न रहा।

हर्ष की सेना में पैदल, अश्वारोही, हाथी और ऊंट प्रमुख थे। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी महासेनापति कहलाता था। उसके अधीन कई सेनापति होते थे। प्रत्येक सेना के पृथक-पृथक सेनापति होते थे। अश्वदल में अधिकारी को बृहद् अश्ववार कहते थे, पैदल सेना के अधिकारियों को महाबलाधिकृत कहते थे। सैनिकों के लिए वही गुप्तकालीन नाम चाट अथवा भाट का प्रयोग किया जाता था। हर्षवर्धन का कुंतल अश्वरोही सेना का एक अधिकारी था। स्कंदगुप्त उसके सेना में गज सेना का सेनापति था। रण भाण्डागार विभाग का भी उल्लेख एक लेख की मुहर में मिलता है। इस विभाग के लिए उस समय भी अधिकरण नाम का प्रयोग होता था।

ह्वेनसांग ने लिखा है कि हर्षवर्धन की सेना में असंख्य पैदल सैनिक थे। 1,00,000 घुड़सवार तथा 60,000 हाथी थे। इस प्रकार हर्षवर्धन के हस्तिदल की तुलना में मौर्यों का हस्तिदल (9,000 हाथी) कुछ भी न था। ईरान एवं अफगानिस्तान से उत्तम नस्ल के घोड़े सेना के लिये मंगवाये जाते थे। सम्राट ने अनेक नवीन दुर्गों का निर्माण किया जिससे देश को बाहरी शत्रुओं के आक्रमण से बचाया जा सकता था।

न्याय व्यवस्था :- यद्यपि हर्ष के समय दंड अत्यन्त कठोर था फिर भी अनेक अपराध यत्र-तत्र हुआ करते थे। ह्वेनसांग को राजधानी से कुछ ही दूर पर डाकुओं ने घेर लिया था। जब राजधानी के निकट यह व्यवस्था थी तो दूरस्थ प्रदेशों की स्थिति और अधिक तो अत्यन्त भयंकर रही होगी। अपराधियों के लिए अत्यन्त कठोर

दंड दिया जाता था। छोटे-छोटे अपराधों के लिए अंग-च्छेद का दिया जाता था। देश निष्कासन का भी दंड प्रचलित था। कैदियों की अवस्था भी सोचनीय थी। राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास का दंड भुगतना पड़ता था।

अपराध की सत्यता की जाँच करने के लिए चार प्रकार की कठिन 'दिव्य' परीक्षाएँ काम में लाई जाती थी- ① जल द्वारा ② अग्नि द्वारा ③ तुला द्वारा और ④ विष द्वारा।

दंडों की कठोरता के कारण ह्वेनसांग लिखता है, "शासन कार्य सत्यतापूर्वक सम्पन्न किया जाता था तथा लोग हेल-मेल से रहते थे। अतः अपराधियों की संख्या बहुत थोड़ी थी" किन्तु इतना होते हुए भी जन साधारण का जान-माल सदैव खतरे में रहता था। गुप्त शासकों के समय फाह्यान भारत आया और बिना भय के भ्रमण करता रहा। ह्वेनसांग जब यहाँ पर आया तो वह कई अवसरों पर डाकुओं के चंगुल में फँसा। कई बार उसको चोरों ने क्षति पहुँचाई जिसकी क्षतिपूर्ति स्वयं हर्ष ने की थी।

आय का साधन :- राज्य की आय का सबसे मुख्य साधन कर था। भाग, हिरण्य तथा बलि आदि में करों का उल्लेख आया है। इसके अलावा उद्रंग, उपरिकर आदि का भी वर्णन मिलता है। द्रव्य, खनिज पदार्थ, फलों आदि पर भी कर लिया जाता था। बाजारों में बिक्री कर लगाया जाता था। घाटों पर शुल्क लिया जाता था। अपराधियों पर लगाया गया अर्थ दंड भी राजकीय आय का एक साधन था। राज भूमि की उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। कर नगद तथा उपज दोनों ही रूपों में दिया जा सकता था। ह्वेनसांग का कथन है कि लोगों पर करों का भार अधिक न था। "किन्तु इस पर पूरा विश्वास करना कठिन है। अनेक लोगों तक हर्ष हमेशा युद्ध में फँसा था तथा उसकी सेना विशाल थी। इसलिए लोगों पर करों का बोझ भी हलका न होगा"।

(2) प्रान्तीय शासन :- प्रान्तीय शासन प्रणाली लगभग गुप्तों के समान ही थी। प्रान्त भुक्ति या देश कहलाते थे। भुक्तियों के शासक को उपरिक महाराजा के नाम से संबोधित किया जाता था। संभवतः वे राजकुमार होते थे। प्रान्तीय शासक का एक कार्यालय होता था जिसे उपरिक अधिकरण कहा जाता था।

(3) विषय शासन :- भुक्ति के अन्तर्गत अनेक विषय होते थे। विषय का मुख्य विषयपति कहलाता था। इसकी नियुक्ति प्रान्तीय शासक एवं कभी-कभी सम्राट भी करता था।

ग्राम शासन :- गाँव सदैव से ही शासन की सबसे छोटी इकाई रहा है। ग्राम प्रमुख ग्राम की शासन व्यवस्था करता था। उसके शासन कार्य में सहायता करने के लिए अनेक 'करणिक' होते थे। संभवतः इस काल में भी महत्तरों का वही स्थान रहा होगा।

Scanned with CamScanner

जो कि गुप्तकाल में था। महत्तर गाँव के वृद्ध जन होते थे जिनका गाँव के शासन में अत्यन्त महत्वपूर्ण हाथ रहता था।

इस तरह हर्ष की शासन प्रणाली काफी उच्च कोटि की थी। लेकिन उसके शासन व्यवस्था में ~~उतनी~~ उतनी कुशलता नहीं थी जितनी कि गुप्त काल में थी।

[illegible]
5/5/93